FORM NO.III
फर्द अहकाम
(नियम 26)
अज अदालत :– जिला कलेक्टर पाली

अपीलांट:– बनाम रेस्पोडेन्ट :–

श्री जयसिंह निवासी ग्राम लौटोती, तहसील जैतारण जिला पाली

लोक सूचना अधिकारी (अति. जिला कलक्टर) पाली

किस्म मुकदमा RTI APPEAL-- 103/2019
R.C.M.S. No. --2019/00264
अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम–2005

तारीख	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
12/09/19	अपीलांट ने यह अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत पेश कर निवेदन किया है कि कार्यालय लोक सूचना अधिकारी (अति. जिला कलक्टर) पाली ने उनके द्वारा चाही गई सूचना उपलब्ध नहीं करवाए जाने से अपील न्यायालय में पेश की गई है। अपील दर्ज रजिस्टर हो। रेस्पोडेन्ट अपना पक्ष रखने हेतु तलब होकर एवं सूचना अपीलाण्ट को दी जाकर पत्रावली दिनांक 27/9/19 को पेश हो। जिला कलेक्टर, पाली	1433-34 16.9.19
27/9/19	पी. ओ. सा. बाहर पधारे है। पेशी इलतवा होकर पत्रावली दिनांक 11/10/19 को पेश हो।	
11-10-19	अपील अपीलांट अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधि० 2005 के तहत पेश कर निवेदन किया कि राज्य लोक सूचना अधिकारी (ADM) पाली से उनके द्वारा वांछित सूचना उपलब्ध कराई जावे। इस न्यायालय से लोक सूचना अधिकारी (ADM) पाली को लिखा जाने पर अवगत कराया कि वांछित सूचना उनके पत्रांक रा०लो०सू० अ० /234/2019/ 1549 दिनांक 20-9-2019 के अपीलांट को कुल 30 पृष्ठ उपलब्ध करा दिए गए है। इस कारण इस न्यायालय के पत्रांक 1616 दि० 23-9-19 के सूचना देते हुए प्रकरण निस्तारित करवाने हेतु निवेदन किया है राज्य लोक सूचना अधिकारी कलक्टर पाली द्वारा अपीलांट को वांछित सूचना उपलब्ध करा देने से इस अपील में किसी प्रकार की कार्यवाही अपेक्षित नही रह जाती है। एवं अपील अपीलांट इसी स्तर पर drop की जाती है। पत्रावली शुमार फैसल की जाकर नमबर से कम हो। जिला कलेक्टर, पाली	